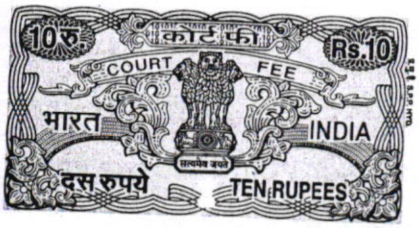

(126)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2018 जिला खरगौन

पी/खरगौन/आ० अ०/2018/0955

मैसर्स- एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खोड़ी ग्राम, बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.)

.....अपीलार्थी

श्री कार्तिक शर्मा द्वारा आज दि. 6-2-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-2-18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1- **आबकारी आयुक्त**, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2- **उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता, जिला- इन्दौर**

3- **जिला आबकारी अधिकारी**, जिला खरगौन

......प्रतिअपीलार्थीगण

<u>**न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा आदेश पृष्ठांकन क्रमांक/5(1)2017-18/3971 दिनांक 09.08.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।**</u>

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.पीबीआर/अपील/खरगोन/आ0अ0/18/955 जिला-खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2018	अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अवधि विधान की धारा 5 व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रत्यर्थी शासन के अधिवक्ता को भी सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपील आबकारी आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 9-8-2017 के विरूद्ध दिनांक 6-2-2018 को प्रस्तुत हुई है, जो प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य है । विलम्ब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 9-8-2017 की प्रति रिकार्ड में रखकर भूल जाने का कारण बताया गया, परन्तु अपने तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताया गया कारण उनको समय सीमा में छूट देने के लिये पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अपील समयावधि बाह्य होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	